13/2/23 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप.
वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र
आवेदित निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज
किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखकर
शामिल मिसल किया गया। पत्रावली
बाद तामील होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज.)

लालसोट जिला दौसा राज0

(अप्रार्थीगण)

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक 13/2/23

उपस्थित :— प्रार्थीया की ओर से श्री रामबाबू शर्मा एडवोकेट

अप्रार्थीगण की ओर से श्री देवीसिंह चौहान एडवोकेट

प्रार्थीनीगण की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि आराजी खसरा नं. 17 रकबा 4.2700 हैक्टेयर वाकै ग्राम बडकापाडा तहसील लालसोट में स्थित है इस भमि मे अप्रार्थी संख्या 1 कजोडिया का व उसके भाई काल्या का हिस्सा 11/12 है। आराजीयात प्रार्थीनीगण की संयुक्त हिन्दु परिवार की पैत्रक सम्पत्ति है। बाबा गंगाराम के

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज.)

इंतकाल के बाद उसके दोनो लडके कजोडया व काल्या के न्यागमित हो गई चूंकि काल्या उनके जीवनकाल मे गाओलात रहा और उसके जीवनकाल मे ना औलात फौत हो गया। इस प्रकार बाबा गंगाराम के एक ही वारिस रहा कजोडया यधपि मृतक काल्या पुत्र गंगाराम की विरासत अभी राजस्व रिकाड मे कजोडया के हक मे नही खुली है। आराजी वादग्रस्त मे प्रार्थीनी के पिता कैलाश का हिस्सा 11/48 है। एंव प्रार्थीनी संख्या 1 व 2 का प्रत्येक हिस्सा 11/192, 11/192 है। इस प्रकार आराजीयात वादग्रस्त प्रार्थीनी एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त शामलाती हिन्दु परिवार की जायदाद है। अप्रार्थी संख्या 2 कैलाश जो प्रार्थीनी का पिता है। शराब का आदि है। प्रार्थीनीगण के कोई भाई नही है। वह आराजीयात को खुर्द बुर्द कर अन्यत्र हस्तानान्तरण करने पर आमादा हो रहा है। जबकि संयुक्त परिवार की जायदाद को खुर्द बुर्द करने का उसे कोई अधिकार हांसिल नही है। प्रार्थीनीगण कानूनन मुश्तहक है कि आराजी खसरा नं0 17 रकबा 4.2700 हैक्टयेटर भूमि का बडका पाडा तहसील लालसोट मे स्थित है। जिसमे प्रार्थीनीगण का हिस्सा 11/192, 11/192 की खातेदारी स्वंय के नाम जरिये उद्घोषणा प्राप्त करने की अधिकारी है। प्रार्थीनीगण जरिये स्थायी निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण को इस आशय से प्रतिबंधित करवाने की अधिकार है कि अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 आराजीयात खसरा नं0 17 रकबा 4.2700 हैक्टेयर भूमि वाकै ग्राम बडकापाडा तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित को खुर्द खुर्द रहन, बय, मुतकिल नही करें। अप्रार्थी संख्या 8 इस भूमि के वर्तमान राजस्व रिकार्ड को यथावत रूप से कायम रखे। आराजीयात के संबंध मे कोई विकय पत्र अनुबंध पत्र, बंधक पत्र तस्दीक नही करे। इसके लिए अप्रार्थीगण स्वयं व अपने एजेन्टो सहित स्थायी रूप से प्रतिबंधित रहे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 की ओर से श्री देवीसिंह चौहान एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। तथा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया कि खसरा नं0 17 रकबा 4.2700 हैक्टैयर वाकै ग्राम बडकापाडा वाली में अप्रार्थीगण की खातेदारी तन्हा खातेदारी भूमि है प्रार्थीया का कोई लेना देना नही है व

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज.)

प्रार्थीगण अनुसुचित जनजाति से है तथा विवाहिता पुत्री को पैत्रक सम्पत्ति मे कोई हक अधिकार प्राप्त नही होते है वैसे भी प्रार्थीगण के पिता व बाबा जीवित है। ऐसी स्थित में न्यायालय द्वारा प्रार्थीनीगण द्वारा यांचित अनुतोष बाबत खातेदारी उद्घोषणा कानूनन प्रदान नही किया जा सकता है। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र प्रथमतः ही काबिले खारिज के है। विवादित भूमि मे राजमार्ग निर्माण हेतू अवाप्ति की कार्यवाही मे मन अप्रार्थीगण ने पुख्ता मकानात शामिल थे जिनको ध्वस्त कर राजमार्ग का निर्माण किया जा चुका है । प्रार्थीया मन अप्रार्थीगण को हैरान परेशान करने की गर्ज से व मन अप्रार्थीगण को मुआवजा प्राप्त नही हो इस आशय बाधा डालना चाहती है। उक्त प्रार्थना पत्र झुठे कथनो पर पेश किया गया है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रार्थना पत्र को खारीज करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र बहस सुनी गई पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया ।

प्रकरण मे प्रार्थना पत्र को तय कराने हेतु तीन बिन्दुओ प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षती को देखना है।

1. प्रथम दृष्ट्या केस :– उक्त बिन्दु को साबित करने का भार प्रार्थीया का प्रार्थीया के अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए तर्क दिया है कि विवादित भूमि पैत्रक सम्पत्ति है जिसमे प्रार्थीया का जन्म से अधिकार है परन्तु अप्रार्थी विवादित भूमि को खुर्द बुर्द करने व उसका विक्रय हस्तानान्तरण करने हेतू प्रयासरत है तथा उक्त भूमि का मुआवजा राशि भी उठाने पर आमादा है। इसलिए अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे कि वे विवादित भूमि का रहन, बय हस्तानान्तरण नही करे तथा मुआवजा राशि नही उठाये यदि दौराने वाद उक्त भूमि का रहन बेचान व खुर्द बुर्द किया जाता है तो प्रार्थीया को अपुरणिय क्षति होगी। इसलिए प्रार्थीया का केस प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित होने के कारण अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे कि वे विवादित भूमि का रहन बेचान, हस्तानान्तरण नही करें एवं उक्त भूमि का किसी भी प्रकार की मुआवजा राशि नही

उपखण्ड अधिकारी
मालपुरा जिला टोंक (राज.)

उठाये। अपनी बहस के समर्थन मे प्रार्थीया के अधिवक्ता ने निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये :–

1. आर आर डी 1996 (राज.हाईकोर्ट) पेज नं0 396
2. आर आर डी 2005 (रेवन्यू बोर्ड) पेज नं0 363
3. आर आर डी 1981 (रेवन्यु बोर्ड) पेज नं0 512

इसके वितरित अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने तर्क किया कि प्रार्थीया अनुसुचित जनजाति की विवाहिता पुत्री है पक्षकारान मीना जाति के है जिन पर हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम लागु नही होता है। प्रार्थीया की अनुसुचित जनजाति की विवाहिता पुत्री होने के कारण उनका विवादित भूमि में कोई हक अधिकार नही है। वैसे भी पिता के जीवनकाल मे पुत्र, पुत्री भूमि के बाबत हिस्सा क्लेम नही कर सकती है। इसलिए प्रार्थीया का केस प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित नही होने के कारण अप्रार्थीगण को किसी भी प्रकार से कानूनन प्रतिबंधित नही किया जा सकता है ऐसी स्थिति में प्रार्थीया का उक्त प्रार्थना पत्र निरस्तनीय है। अपनी बहस के समर्थन मे अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने निम्न न्यायिक दृष्ट्रान्त पेश किये :–

1. डी एन जे 2014 पार्ट 3 (राज.हाईकोर्ट) पेज नं0 1050
2. आर आर डी 2015 (रेवन्यू बोर्ड) पेज नं0 606

हमने उभय पक्ष के अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया गया एवं न्यायिक दृष्टान्त का अवलोकन किया गया

प्रकरण में पक्षकारान मीना जाति के है जिनपर हिन्दु उत्तराधिकारी अधिनियम लागू नही होते है। चुकि उक्त प्रकरण मे प्रार्थीया अनुसुचित जनजाति की विवाहिता पुत्री है। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये न्यायिक दृष्ट्रान्त मे माननीय न्यायालय द्वारा यह निष्कस दिया गया है कि अनुसुचित जनजाति की विवाहिता पुत्री को पैत्रक सम्पत्ति मे कोई हक अधिकार नही होते है। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्ट्रान्त इस बिन्दु पर पूर्ण रूप से चस्पा होते है जबकि प्रार्थीया के अधिवक्ता द्वारा इस बिन्दु के खण्डन मे किसी प्रकार का कोई न्यायिक दृष्टान्त पेश नही किया गया है। प्रार्थीया के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का अवलोकन किया गया जो कि उक्त प्रकरण पर चस्पा

उपखण्ड अधिकारी
मालपुरा जिला टोंक (राज.)

नही होते है । ऐसी स्थित मे प्रार्थीया अपना केस प्रथम दृष्टया केस साबित करने पर असफल रही है।

2. सुविधा की तुला
3. अपुरणिय क्षति

उक्त दोनो बिन्दु एक दुसरे के पूरक होने के कारण उनका निस्तारण एक साथ किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। चुकि प्रार्थीया अपने केस को प्रथम दृष्टया साबित करने मे असफल रही है तो ऐसी स्थिति मे प्रार्थीया को किसी भी प्रकार की अपुरणिय क्षति कारित होने की कोई सम्भावना नही है और न ही सुविधा की तुला प्रार्थीया के पक्ष मे है इसलिए प्रार्थीया उक्त दोनो बिन्दु अपने पक्ष मे साबित करने मे असफल रही है।

चुकि प्रार्थीया उक्त तिनो बिन्दु 1. प्रथम दृष्टया केस 2 सुविधा की तुला 3. अपूरणि क्षति अपने पक्ष में साबित करने मे असफल रही है इसलिए प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थीया की ओर से आराजी खसरा नं. 17 रकबा 4.2700 हैक्टेयर बाकै ग्राम बडकापाडा तहसील लालसोट जिला दौसा बाबत् प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारीज किया जाता है। पत्रावली फसैल सुमार होकर संलग्न वाद पत्र रहे।

निर्णय आज दिनांक 13/2/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(बृजेन्द्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी लालसोट